



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016



पत्र सं०- 2962 / नि०प्रा०- 122/2015-16/वा०नि०-5 /

दिनांक- 4-10-2016

उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत
 स्वीकृति-पत्र (प्रथम चरण)

सेवा में,

डायरेक्टर, मैसर्स वी०एन०इन्फ्राटैक प्रा०लि०,
 द्वारा श्री कुलदीप कटियार पुत्र श्री वी०एन० कटियार,
 एस-183, ए पाण्डव नगर,
 दिल्ली-110092

विषय: ग्रुप हाउसिंग भूखंड सं०-11/जी०एच०-11, वृन्दावन लखनऊ के सापेक्ष उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या-11/जी०एच०-11, वृन्दावन योजना लखनऊ के मानचित्र स्वीकृति सम्बंधी आपके आवेदन/मानचित्रों को परीक्षणोपरान्त दिनांक 16.03.2016 को आवास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसे समिति द्वारा कतिपय शर्तों सहित अनुमोदित किया है:-

समिति के निर्णयानुसार वांछित शुल्क/औपचारिकतायें पूर्ण कराने हेतु निर्गत मांग पत्र 1028/वा०नि०-5 दिनांक 22-4-2016 के कम में आपके प्रत्यावेदन दिनांक 28-7-2016 पर विचार विमर्श उपरान्त आवास आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 4-10-2016 को प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन तीन चरणों में निर्माण मानचित्र निर्गत किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है :-

क-प्रथम चरण में डबल बेसमेंट/स्टिल्ट (नान एफ०ए०आर० एरिया) व भूतल पर निर्माण की अनुमति प्रदान की जा जाय।
 ख-द्वितीय चरण में भूतल के अनुवर्ती तलों से 2.50 एफ०ए०आर० तक अनुवर्ती तलों का निर्माण मानचित्र सम्बंधित निर्माण खण्ड से डबल बेसमेंट/स्टिल्ट, भूतल पर पर किये गये निर्माण की पुष्टि प्राप्त होने के उपरान्त प्रदान की जायेगी।
 ग-तृतीय चरण में अनुवर्ती तलों पर निर्माण की अनुमति शासनादेश सं०-3188/8-1-13-80 विविध/2010 दिनांक 05-12-2013 के अनुपालन में सेल्टर फीस की एकमुश्त धनराशि परिषद खाते में जमा होने व 2.50 से अतिरिक्त कय योग्य एफ०ए०आर० शुल्क की धनराशि/निर्धारित अद्यावधिक किश्त नियमानुसार परिषद में जमा होने की पुष्टि उपरान्त तदनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त ही निर्गत की जायेगी।

उक्त के फलस्वरूप एतद्वारा निम्नांकित शर्तों सहित स्वीकृत मानचित्र निर्गत किया जाता है :-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
3. भूखण्ड में कय योग्य एफ०ए०आर० के सापेक्ष सीवेज निस्तारण हेतु एस०टी०पी० की व्यवस्था व विद्युत आपूर्ति हेतु स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर व जलापूर्ति हेतु बोर वेल/ट्यूब वेल का निर्माण सक्षम स्तर से अनुमति के उपरान्त स्वयं सुनिश्चित करेंगे।
4. वर्तमान में स्थल पर क्रियान्वयन तकनीकी समिति की बैठक दि० 16-3-2016 के अनुमोदन के कम में स्थल पर निर्माण किया जाएगा।
5. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। (दिनांक 4-10-2016 से 3-10-2021 तक)।
6. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
7. यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल 46471.827 वर्गमी० (डबल बेसमेंट+भूतल+स्टिल्ट+13 तल) में से 15527.26 वर्गमी० निर्माण क्षेत्रफल (डबल बेसमेंट+ स्टिल्ट/भूतल) हेतु 8708.25 वर्गमी० के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है। डबल बेसमेंट पार्किंग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफ.ए.आर. में आंगणित नहीं किया गया है। अतः पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान में निर्माण की सुनिश्चितता हेतु निर्माण की स्वीकृति केवल डबल बेसमेंट एवं उसके ऊपर एक तल (2B+stilt+Ground) के निर्माण की अनुमति प्रथम चरण में प्रदान की जा रही है। (स्वीकृत मानचित्र सलग्न है।)
8. प्रथम चरण में स्थल पर डबल बेसमेंट एवं उसके ऊपर ग्राउण्ड फ्लोर का निर्माण, स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त (सम्बन्धित खण्ड से पुष्टि के पश्चात) ही शेष अनुवर्ती तलों पर निर्माण क्षेत्रफल 30944.567 वर्गमी० हेतु स्वीकृति उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमति उपरान्त प्रदान की जा सकेगी।
9. वर्तमान में भूखण्ड पर नियमानुसार एफ०ए०आर० 3.75 के अन्तर्गत कुल 431 नग इकाईयों निर्मित किये जाने हेतु अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किया गया है, परन्तु निर्माण की अनुमति सेल्टर फीस की धनराशि एकमुश्त परिषद खाते में जमा होने व कय योग्य एफ०ए०आर० शुल्क की धनराशि/अद्यावधिक किश्तें नियमानुसार जमा होने की पुष्टि उपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्गत की जायेगी।
10. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-12, उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-12 व उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबंध, वृन्दावन योजना लखनऊ द्वारा स्थल पर निर्माण उसी दशा में अनुमन्य किया जायेगा

जबकि सम्बंधित द्वारा प्रश्नगत भूमि/कय योग्य एफ0ए0आर0 के सापेक्ष परिषद को देय किशतों का भुगतान समयानुसार अद्यतन किया जा रहा हो। यदि उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।

11. उप निदेशक, उ0प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ के पत्रांक संख्या-98/एफ0एस0-2015 दिनांक 15-09-2016 के द्वारा प्रदत्त प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है तथा भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व मुख्य अग्निशमन अधिकारी से पुनः अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
12. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
13. आवंटी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
14. शासनादेश के अनुसार कम से कम 50 पेड़/हैक्टे0 की दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
15. शासनादेश के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
16. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570-9-आ-12001(भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक-3.2.2001 एवं सं0 3751/9-आ0- भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्तें, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
17. आवंटी द्वारा भारतीय विमानन पत्तनम प्राधिकरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पर्यावरण निदेशालय से वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति के निर्णयानुसार विलम्बतम 06 माह के अन्दर सम्बंधित विभाग से प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त अवधि में वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुवर्ती तलों का निर्माण कार्य किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किया गया निर्माण अनाधिकृत निर्माण मानते हुए स्वीकृत मानचित्र निरस्तीकरण कार्यवाही की जा सकती है।
18. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
19. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
20. प्रश्नगत भूमि पर निर्माण के पश्चात भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 परिशिष्ट-6 प्रपत्र-ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णतया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
21. शासनादेश के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रस्तावित निर्माण के सापेक्ष उपकर के सम्बंध में श्रम आयुक्त, कार्यालय में आवेदित पंजीकरण प्रमाण पत्र/चालान सं0 G020055 दिनांक 26-8-2016 कम में इस शर्त सहित निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी है कि आवंटी द्वारा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में भविष्य में ससमय निर्माण के अनुसार उपकर जमा कराये जाने की दशा में ही स्थल पर अनवरत निर्माण कार्य किया जायेगा, जिसका क्रियान्वयन तदनुसार सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
22. उप आवास आयुक्त सम्पत्ति प्रबंध-वृन्दावन योजना लखनऊ के द्वारा पत्रांक 7266/स0प्र0वृ0 दिनांक 23-9-2016 द्वारा भूखण्ड के सापेक्ष अवशेष धनराशि को पुर्ननिर्धारित करते हुए अद्यावधिक भुगतान की स्थिति से सूचित किया गया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

1. आर्कीटेक्चरल मानचित्र एक सेट (12 नग)।

2. स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स/कैलकुलेशन का सेट (06 नग)।

भवदीय,


(संजीव कश्यप)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

दिनांक: 14-10-16

पृ0सं0:-

2962 / उक्त /

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता-वृन्दावन वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-12, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन, लखनऊ को मानचित्रों के एक सेट सहित उक्त अंकित शर्तों के अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के कष्ट करें।
3. उप आवास आयुक्त-सम्पत्ति, वृन्दावन लखनऊ को सूचनार्थ।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उ0प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ को उनके अनुमोदन के क्रम में प्रपत्र-ब सहित।
5. डायरेक्टर, श्रम आयुक्त 23, ए0पी0 सेन रोड, चारबाग, लखनऊ को उक्त शर्त सं0-22 के अनुक्रम में प्रेषित।

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी